गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार: हरीश राणा मामला और निष्क्रिय इच्छामृत्यु का संवैधानिक विस्तार

UPSC प्रासंगिकता - प्रारम्भिक परीक्षा: मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, चिकित्सा नैतिकता और समसामयिक घटनाएँ
मुख्य परीक्षा - GS पेपर I: सामाजिक मुद्दे; GS पेपर II: भारतीय संविधान, न्यायपालिका की भूमिका; GS पेपर IV: मानवीय मूल्य और नैतिकता, चिकित्सा नैतिकता, करुणा और सहानुभूति

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने हरीश राणा नामक व्यक्ति के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (Passive Euthanasia) की अनुमति दी।
- हरीश के 2013 से 'पर्सीस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट' (PVS) में रहने के बाद, न्यायालय द्वारा उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली से हटाने की अनुमति दी गई।
- न्यायालय ने माना कि जब रिकवरी की कोई संभावना न हो, तो कृत्रिम रूप से जीवन को खींचना मरीज के 'सर्वोत्तम हित' में नहीं है। यह निर्णय 'कॉमन कॉज' (2018) के दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया है।

सम्पूर्ण घटनाक्रम:

- **हादसे का समय:** यह घटना वर्ष 2013 की एक शाम को हुई थी। उस समय हरीश राणा की आयु मात्र 20 वर्ष थी।
- **स्थान:** हरीश राणा दिल्ली में अपने पीजी आवास में रह रहे थे, जहाँ यह दुर्घटना घटी।
- **हादसे का स्वरूप:** वह अपने पीजी की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे। इस ऊंचाई से गिरने के कारण उन्हें अत्यंत गंभीर और जानलेवा चोटें आईं।
- **शारीरिक अवस्था (PVS):** इस हादसे के परिणामस्वरूप वह 'पर्सीस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट' (PVS) में चले गए। उनके माता-पिता और डॉक्टरों ने हार न मानते हुए अगले 13 वर्षों तक उनकी निरंतर सेवा की।
- **प्रारंभिक याचिका (उच्च न्यायालय):** उच्चतम न्यायालय पहुँचने से पहले, हरीश के माता-पिता ने मई 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने एक 'मेडिकल बोर्ड' गठित करने और निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने की मांग की थी।
- **उच्च न्यायालय का निर्णय (जुलाई 2024):** दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई 2024 में उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि हरीश "अपने आप सांस ले रहे हैं" और वे पूरी तरह से बाहरी वेंटिलेटर पर नहीं हैं, इसलिए उन्हें इच्छामृत्यु की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- **उच्चतम न्यायालय में अपील:** उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ माता-पिता ने अगस्त 2024 में उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की।
- **अंतिम ऐतिहासिक निर्णय (मार्च 2026):** लंबी कानूनी प्रक्रिया और विस्तृत मेडिकल जांच के बाद, उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2026 में अपना अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति प्रदान की गई।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
Resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु:

1. CANH: क्या यह चिकित्सा उपचार है?

- इस मामले में सबसे तकनीकी प्रश्न यह था कि क्या 'क्लीनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन' (CANH) को चिकित्सा उपचार माना जाए।
- **न्यायालय का तर्क:** चूँकि, CANH देने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा ज्ञान, निरंतर निगरानी और आपातकालीन प्रबंधन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे केवल 'भोजन' नहीं बल्कि 'चिकित्सा उपचार' माना गया। अतः, इसे हटाना निष्क्रिय इच्छामृत्यु के दायरे में आता है।

2. 'सर्वोत्तम हित' का सिद्धांत

- अदालत ने स्पष्ट किया कि जब कोई मरीज अपनी सहमति देने में असमर्थ हो, तो निर्णय उसके 'सर्वोत्तम हित' में होना चाहिए।
- यदि उपचार से कोई 'चिकित्सीय लाभ' नहीं मिल रहा है, तो उसे जारी रखना केवल पीड़ा को बढ़ाना है। ऐसे में उपचार रोकना ही मानवतावादी दृष्टिकोण है।

3. संवैधानिक नैतिकता बनाम विधायी शून्यता

- न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत में इच्छामृत्यु पर एक स्पष्ट कानून की कमी है। वर्तमान में पूरा तंत्र न्यायालय के दिशा-निर्देशों पर चल रहा है। जजों ने "पवित्र आशा" व्यक्त की है कि संसद इस संवेदनशील मुद्दे पर विधायी हस्तक्षेप करेगी।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णय:

भारतीय न्यायपालिका में इच्छामृत्यु की यात्रा उतार-चढ़ाव भरी रही है:

- **ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996):** उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 में 'जीने का अधिकार' शामिल है, लेकिन इसमें 'मरने का अधिकार' (Right to Die) शामिल नहीं है।
- **अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ (2011):** इस ऐतिहासिक मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु को मान्यता दी गई। न्यायालय ने माना कि लाइलाज स्थिति में जीवन रक्षक प्रणाली हटाना वैध हो सकता है, बशर्ते वह सख्त न्यायिक निगरानी में हो।
- **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018):** न्यायालय ने 'राइट टू लाइफ विद डिग्निटी' को व्यापक बनाते हुए 'लिविंग विल' (Living Will) और निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध घोषित किया। न्यायालय ने कहा कि गरिमापूर्ण मृत्यु, गरिमापूर्ण जीवन का ही हिस्सा है।

सक्रिय इच्छामृत्यु और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच प्रमुख अंतर:

- **हस्तक्षेप की प्रकृति:**
  - सक्रिय इच्छामृत्यु में डॉक्टर मरीज की मृत्यु के लिए सीधे तौर पर किसी बाहरी घातक पदार्थ (जैसे घातक इंजेक्शन) का प्रयोग करता है।
  - इसके विपरीत, निष्क्रिय इच्छामृत्यु में मरीज को जीवित रखने वाले उपचार या जीवन रक्षक प्रणाली (जैसे वेंटिलेटर या फीडिग ट्यूब) को हटा लिया जाता है या रोक दिया जाता है।
- **मृत्यु का कारण:**
  - सक्रिय इच्छामृत्यु में मृत्यु का कारण वह विशिष्ट कार्य होता है जो डॉक्टर द्वारा किया गया है।
  - जबकि निष्क्रिय इच्छामृत्यु में मृत्यु का कारण मरीज की अपनी अंतर्निहित बीमारी या प्राकृतिक अवस्था होती है, जिसे अब कृत्रिम रूप से नहीं रोका जा रहा है।
- **भारत में कानूनी स्थिति:**
  - भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु पूरी तरह से अवैध है और इसे 'आपराधिक मानव वध' माना जाता है।
  - वहीं, निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्राप्त है, बशर्ते वह 'अरुणा शानबाग' और 'कॉमन कॉज' मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सख्त दिशा -निर्देशों के तहत की जाए।

संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ:

- **दुरुपयोग की संभावना:** वरिष्ठ नागरिकों या संपत्ति विवादों के मामलों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु का दुरुपयोग होने का खतरा हमेशा बना रहता है।
- **नैतिक और धार्मिक दुविधा:** कई समुदायों में मृत्यु को प्राकृतिक प्रक्रिया माना जाता है और इसमें मानवीय हस्तक्षेप को अनैतिक समझा जाता है।
- **चिकित्सा बोर्ड की जटिलता:** वर्तमान प्रक्रिया में प्राथमिक और माध्यमिक चिकित्सा बोर्डों की मंजूरी लेना काफी समय लेने वाला और जटिल है, जिससे पीड़ित परिवार की मानसिक पीड़ा बढ़ जाती है।

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

भविष्य के आयाम:

- **राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता:** भारत को एक व्यापक 'मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स बिल' की आवश्यकता है।
- **लिविंग विल का सरलीकरण:** 2023 के संशोधन के बाद 'लिविंग विल' की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता अभी भी बहुत कम है।
- **पेलिएटिव केयर:** इच्छामृत्यु की मांग कम करने के लिए भारत में 'उपशामक देखभाल' (दर्द निवारक उपचार) के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा।

निष्कर्ष:

"जीवन का अर्थ केवल जैविक अस्तित्व नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है।" हरीश राणा मामले मे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय हमें याद दिलाता है कि कानून को केवल अक्षरों में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं में पढ़ा जाना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता का अर्थ केवल बहुमत की इच्छा नहीं , बल्कि समाज के उस 'नगण्य अल्पसंख्यक' के अधिकारों की रक्षा भी है, जो अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकते।

(स्रोत: द हिन्दू)

IAS-PCS Institute

यूपीएससी प्रारम्भिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'गरिमा के साथ जीने के अधिकार' में 'गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार' भी शामिल है, यह सिद्धांत किस ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था?

A. ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य
B. के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ
C. अरुणा आर. शानबाग बनाम भारत संघ
D. कॉमन कॉज बनाम भारत संघ
उत्तर: (D)

प्रश्न 2: 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' और 'कॉमन कॉज' दिशा-निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. 'लिविंग विल' एक अग्रिम चिकित्सा निर्देश है जिसके माध्यम से व्यक्ति यह तय कर सकता है कि भविष्य में असाध्य स्थिति होने पर उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाए या नहीं।
2. 2023 के संशोधनों के बाद, अब लिविंग विल को प्रमाणित करने के लिए केवल राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर ही पर्याप्त हैं।
3. निष्क्रिय इच्छामृत्यु में जीवन रक्षक प्रणाली को हटाना शामिल है, जबकि सक्रिय इच्छामृत्यु में घातक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3
उत्तर: (C)

Result Mitra
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

यूपीएससी मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न. "चिकित्सा उपचार को वापस लेना और सक्रिय रूप से जीवन समाप्त करना के बीच एक सूक्ष्म किन्तु महत्त्वपूर्ण कानूनी और नैतिक रेखा मौजूद है।" इस कथन के आलोक में 'सर्वोत्तम हित' के सिद्धांत और 'कॉमन कॉज' दिशा-निर्देशों की सार्थकता का परीक्षण कीजिए। (250 **शब्द**)

IAS-PCS Institute
Result Mitra
रिजल्ट का साथी
@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806